प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं० 6/2020 सन्..........

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

31.1.2020 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण किशनलाल पुत्र जोधाराम, रैगर निवासी रैगर मोहल्ला गंगापुर सिटी व अन्य की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रार्थीगण के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।

प्रार्थीगण के वकील ने प्रस्तुत मामले में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। इस बिन्दू पर प्रार्थीगण के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः भूमि ख0न0 857 रकबा 0.19 है0, 858 रकबा 0.80 है0 स्थित ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी के मौके की आगामी पेशी दिनांक 17.2.2020 तक यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। अप्रार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली दिनांक 17.2.20 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

17-2-2020 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी नं० 2 बावजूद सूचना उप० नहीं है। अतः इसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी नं० 1 व 3 के मृत होने की जानकारी आई है। अतः वकील प्रार्थी इनके का० मु० की कार्यवाही करे। पत्रा० दि० 5-3-2020 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

5-3-2020 पत्रा० पेश हुई। पत्रावली में कई बार आवाज लगवाने के उपरांत भी स्वयं प्रार्थी और इनके वकील हाजिर अदालत नही हुए। अतः पत्रा० 7-8 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रा० फैसला मुताबिक [illegible] संलग्न हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.06 15:32:25 IST
Reason: SelfAttested